:: कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर, जोधपुर ::

क्रमांकः 01

दिनांकः 21-06-18

:: विज्ञप्ति ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र संख्या जी/आई/ए–4(i)(a)55/16/4243 दिनांक 15.06.2018 के निर्देशों की पालना में जोधपुर महानगर, जोधपुर न्यायक्षेत्र के न्यायालयो में वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों पर कुल 20 सेवानिवृत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवाएं राजस्थान सरकार कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ,17(10) डीओपी/ए–II/94 दिनांक 08.02.2018 के अनुक्रम में समेकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियुक्ति पर दिनांक 31.03.2019 तक अथवा रिक्त पदों के नियमानुसार भरने तक अथवा कर्मचारी की 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, की कालावधि के लिये सेवाएं ली जानी है।

शर्तेः–

1. उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप समेकित पारिश्रमिक राशि उक्त परिपत्र के संलग्न परिशिष्ठ–क के अनुसार होगी।
2. समेकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियुक्त कार्मिक 01 वर्ष में 15 दिवस की वेतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिये मासिक पारिश्रमिक का 1/30 वां भाग काटा जायेगा।
3. समेकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियुक्त कार्मिक की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम अधिकारी द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अध्याधीन होगी।
4. कार्मिक को पुर्ननियुक्ति के समय सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. ऐसे सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिन्हे सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था या जिन्हें किसी अन्य रीति से दण्डित किया गया था, के संबंध में समेकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियुक्ति के लिये विचार नहीं किया जायेगा।

इच्छुक सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कार्मिक विज्ञप्ति के संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेज आवेदन प्रस्तुत करेंगे। उक्त सेवाएं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेशों/निर्देशों के अध्याधीन प्रभावी रहेगी। उक्त सेवाएं जोधपुर महानगर, जोधपुर न्यायक्षेत्र के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों के रिक्त पदों के अनुसार ली जायेगी।

अतः सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त वर्णित शर्तो पर सेवाएं देने वाले इच्छुक सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दिनांक 16.7.2018 को 5.00PM बजे तक इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किये जाने आवश्यक हैः–

1. विभाग द्वारा जारी सेवा निवृत्ति आदेश की प्रति
2. अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र (एलपीसी) प्रति
3. पीपीओ की प्रति
4. विभागाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण–पत्र (प्रारूप संलग्न है।)

7928

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जोधपुर महानगर, जोधपुर।

क्रमांकः 7840-7929

दिनांक 21/6/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. माननीय रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर।
3. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश ....
4. जिला कलक्टर, जोधपुर।
5. जोधपुर महानगर, जोधपुर न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु संबंधित न्यायालय ....
6. जिला जन संपर्क अधिकारी, जोधपुर को अखबार में साया हेतु।
7. सिस्टम ऑफिसर अदालत हाजा को कार्यालय की बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. नोटिस बोर्ड अदालत हाजा

21/6/18

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जोधपुर महानगर, जोधपुर।